न्यायालय अपर सिविल जज(प्रवर खण्ड)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या 01, बुलन्दशहर।

परिवाद संख्या–25079/2024
श्रीमती नेहा त्यागी बनाम आशीष आदि।
थाना–नरसैना, जिला बुलन्दशहर

दिनांक 04.08.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि परिवादिनी व विपक्षीगण के मध्य समझौता हो गया है। लिहाजा उक्त परिवाद को आगे चलाने को कोई औचित्य नहीं है। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद को वापस लिये जाने की याचना की गई है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत परिवाद वैवाहिक विवाद से संबंधित है। प्रस्तुत परिवाद में परिवादिनी एवं विपक्षीगण के मध्य समझौता हो गया है। अब कोई विवाद शेष नहीं है। परिवादिनी अपने परिवाद पर कोई बल नहीं देना चाहती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत परिवाद बलाभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद परिवादिनी द्वारा बल न दिये जाने के कारण बलाभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 04.08.2026

(अर्जुन)
अपर सिविल जज(प्रवर खण्ड)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्याय कक्ष संख्या 01
बुलन्दशहर

Digitally signed by Arjun
Date: 2026.08.06 14:35:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court